विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के **भाग 'क'** में एक निष्पादन लेखापरीक्षा और एक वृहत कंडिका सहित 19 कंडिकायें है जिनमें राशि ₹ 288.99 करोड़ के अवनिर्धारण, कर के कम आरोपण/अनारोपण इत्यादि के प्रकरण सन्निहित है जिसमें से ₹ 257.76 करोड़ शासन को संभावित हानि होने से अवसूली योग्य है, उल्लेखित है एवं **भाग 'ख'** में एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित छः कंडिकायें है जिनमें राशि ₹ 123.42 करोड़ गलत दर लगाना, मांग जारी नहीं करना, अनियमित/परिहार्य व्यय इत्यादि के प्रकरण सन्निहित है, उल्लेखित है। कुछ प्रमुख प्रेक्षण नीचे वर्णित है :

I. सामान्य

छत्तीसगढ़ शासन का वर्ष 2013-14 के लिये कुल प्राप्तियाँ ₹ 32,050.26 करोड़ थी। राज्य शासन द्वारा संग्रहित कर की कुल प्राप्तियाँ ₹ 19,443.88 करोड़ थी जिसमें कर राजस्व ₹ 14,342.71 करोड़ एवं कर भिन्न राजस्व ₹ 5,101.17 करोड़ था। भारत शासन से प्राप्तियाँ ₹ 12,606.38 करोड़ थी (विभाज्य संघीय करों में राज्यांश ₹ 7,880.22 करोड़ और सहायता अनुदान ₹ 4,726.16 करोड़)। इस प्रकार राज्य शासन का अपना योगदान कुल राजस्व का 61 प्रतिशत रहा।

(कंडिका 1.1)

जून 2014 की स्थिति में जारी किये गये 2,645 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 10,419 लेखापरीक्षा प्रेक्षण जिनमें ₹ 6,090.69 करोड़ सन्निहित है, बकाया थे।

(कंडिका 1.6.1)

वर्ष 2013-14 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व, परिवहन, वन और अन्य विभागीय कार्यालयों की 122 इकाईयों की नमूना जाँच में ₹ 1,459.36 करोड़ अवनिर्धारण/कम आरोपण राजस्व की हानि के 1,26,405 प्रकरण पाये गये। वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर सम्बन्धित विभागों द्वारा 1,20,517 प्रकरणों में, ₹ 92.46 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। इसमें से वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग द्वारा ₹ 5.98 लाख की वसूली की गई।

(कंडिका 1.9)

II. वाणिज्यिक कर

कर निर्धारण अधिकारियों ने ₹ 27.26 लाख का अधिक/गलत आगत कर छूट प्रदाय किया।

(कंडिका 2.3)

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर की गलत दर आरोपित करने से ₹ 1.64 करोड़ के मूल्य संवर्धित कर का कम/अनारोपण हुआ।

(कंडिका 2.4)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा चार्टर्ड एकाउटेंट की आडिट रिपोर्ट का अवलोकन न किये जाने से ₹ 13.63 लाख का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.5)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना में उल्लेखित दर के अनुसार प्रवेश कर आरोपित करने में असफल रहने के कारण ₹ 67.05 लाख के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.7.10)

III. राज्य आबकारी

''आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण'' की निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्न कमियाँ पाईः

आसवनी/बाटलिंग ईकाई और छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (सी.एस.बी.सी.एल) के मध्य लेन-देन तथा साथ में सी.एस.बी.सी.एल और खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य लेन-देन के पुनः सत्यापन हेतु तंत्र के अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप आबकारी शुल्क राशि ₹ 2.96 करोड़ की कम प्राप्त हुई।

(कंडिका 3.2.9)

न्यूनतम निर्धारित मात्रा से अधिक विक्रय की गई मदिरा पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ग्राहको से वसूल की गई अनुज्ञप्ति फीस को जमा कराने हेतु विभाग द्वारा कोई नियम नहीं बनाए जाने से ₹ 178.41 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 3.2.10)

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के निर्यात हेतु बंध पत्र का पंजीयन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की अवसूली ₹ 40.32 लाख।

(कंडिका 3.2.13)

आबकारी आयुक्त द्वारा विदेशी मदिरा की औसत डयूटी का कम निर्धारण किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 79.35 करोड़ के आबकारी शुल्क और अनुज्ञप्ति फीस का कम प्राप्त होना।

(कंडिका 3.2.14)

बैंक ड्राफ्ट के समाशोधन नहीं होने से प्रोसेस फीस की कम प्राप्ति ₹ 71.16 लाख।

(कंडिका 3.2.15)

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के निर्यात की सत्यापन प्रतिवेदन की विलंबित/नहीं प्राप्ति होने से शुल्क की अवसूली ₹ 98.58 लाख।

(कंडिका 3.2.16)

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के मिनियेचर बोतल का निराकरण नहीं किए जाने से शुल्क ₹ 63.79 लाख की अवसूली।

(कंडिका 3.2.18)

IV. भू-राजस्व

कलेक्टर द्वारा रा.व.प्र.प प्रकरणों के विरूद्ध की गई वसूल राशि में प्रक्रिया शुल्क सम्मिलित करने में असफल रहने से राशि ₹ 11.23 लाख कम वसूली हुई।

(कंडिका 4.4)

कलेक्टर द्वारा आबंटित भूमि का मूल्यांकन बाजार भाव अनुसार न किये जाने से प्रब्याजि राशि ₹ 8.10 करोड़ तथा वार्षिक भू-भाटक ₹ 63.71 लाख का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 4.5)

V. वाहनो पर कर

चार परिवहन कार्यालयों में ₹ 76.75 लाख के व्यापार फीस का कम आरोपण/अनारोपण हुआ।

(कंडिका 5.4)

सात परिवहन कार्यालयों में डिफाल्टर वाहन स्वामियों से कर की वसूली हेतु मांग पत्र जारी नही करने से ₹ 2.34 करोड़ के कर की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 5.5)

चार परिवहन कार्यालयों में ₹ 1.52 करोड़ के व्यापार कर की कम/अवसूली हुई।

(कंडिका 5.7)

VI अन्य कर भिन्न राजस्व

वनमंडलाधिकारी द्वारा निरीक्षण शुल्क के वसूली में विफल होने के कारण राशि ₹ 13 लाख का अनारोपण हुआ ।

(कंडिका 6.4)

वन क्षेत्र से उत्खनित एवं परिवहित वन उत्पाद पर राशि ₹ 7.63 करोड़ की अभिवहन शुल्क की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 6.6)

उपभोक्ता काष्ठागारों में वनोपज की कमी और विभाग द्वारा की कमियों के कारणों का समाधान करने में उदासीन रहने से राशि ₹ 8.78 लाख की राजस्व अप्राप्ति हुई।

(कंडिका 6.7)

वनमंडलाधिकारी द्वारा वनोपज के विक्रय में शासन द्वारा प्रावधानित रियायती दर का पालन न कर वनोपज का विक्रय करने से राशि ₹ 36.09 लाख की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 6.8)

जिला खनिज अधिकारी द्वारा खनिपट्टों की निगरानी करने में विफल होने के कारण अनिवार्य भाटक एवं ब्याज की राशि ₹ 12 लाख की अप्राप्ति हुई।

(कंडिका 6.12)

VII वानिकी एवं वन्य जीवन(व्यय)

''छत्तीसगढ़ में बांस का उत्पादन एवं उपचार'' के निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्न कमियाँ पाईः

बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य का मूल्यांकन न किये जाने से राशि ₹ 26.47 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

(कंडिका 7.3.10.1)

बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य अयोग्य क्षेत्रों में किये जाने से राशि ₹ 9.73 करोड़ का अनियमित/परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 7.3.10.3)

बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य में वन संरक्षकों द्वारा निर्धारित जांब दरों का पालन न किये जाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.52 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 7.3.10.5)

बिगड़े बांस वनो के उपचार में विभाग द्वारा नियत किये गये प्रावधानों एवं जाब दरों का पालन नहीं करने से ₹ 73.96 लाख का अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 7.3.10.6)

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, जहाँ बांस की कटाई संभव नहीं थी, में बिगड़े बांस के सुधार का कार्य किये जाने के फलस्वरूप राशि ₹ 2.11 करोड़ का संदिग्ध/निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 7.3.10.8)

विभाग ने बांस रोपण कार्य पर राशि ₹ 28.26 करोड़ का व्यय किया। तथापि, वह रोपणों की सफलता/असफलता का मूल्यांकन कर पाने में असफल रहा।

(कंडिका 7.3.11.1)

पातन हेतु ड्यू बांस कूपों, जिनमें 1.91 लाख हेक्टेयर बांस क्षेत्र सन्निहित था, का पातन न किये जाने से राशि ₹ 39.10 करोड़ की राजस्व क्षति हुई। इसके अतिरिक्त, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बांस के विदोहन हेतु विभाग के पास कोई योजना नहीं थी तथा अलाभकारी कूपों का उपचार नहीं किया गया।

(कंडिका 7.3.12.1)

बांस के अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन की मात्राओं में बहुत अधिक अंतर था जिसके कारण राशि ₹ 4.71 करोड तक के राजस्व का संग्रहण नहीं हो सका।

(कंडिका 7.3.12.2(अ))

विभागीय अनुदेशों एवं कार्य आयोजना के प्रावधानों के विपरीत अनुपयुक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करने से राशि ₹ 1.09 करोड़ का व्यय परिहार्य हुआ।

(कंडिका 7.4)

वृक्षारोपण के परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा लोक धन के व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय नियंत्रण की अनदेखी करने से राशि ₹ 3.20 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 7.7)